



Dt. 16/4/19

संख्या / No.....पेंशन प्राधि./आदेश/के- 85/2018-19/224

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date.....11/4/19.....

श्रीमान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक),

आम्बु जे. सैफाबाद रोड,
हैदराबाद - 500004 -

विषय:- राजस्थान राज्य के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को देय महंगाई राहत में दिनांक
01.01.2019 से 9% से 12% की बढ़ोत्तरी आदेश अन्य राज्यों में पेंशन प्राप्त कर
रहे पेंशनर्स को भुगतान कराने हेतु भिजवाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- राजस्थान सरकार वित्त विभाग (रूल्स डिवाज़न) के आदेश संख्या
F-12(8)FD(rules)/2017 दिनांक 22.02.2019

महोदय,


राजस्थान सरकार वित्त विभाग द्वारा महंगाई राहत वृद्धि के सम्बन्ध में जारी आदेश की
प्रति सलंग कर प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों /
पेंशन भुगतान अधिकारियों / बैंक शाखाओं को प्रसारित कर निर्देशित करने का श्रम करे तथा प्रति
इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करे। उक्त आदेश राजस्थान सरकार वित्त विभाग की
वेबसाइट <http://www.finance.rajasthan.gov.in/> पर भी उपलब्ध है।

सलंग:- आदेश दिनांक 22.02.2019 की प्रति

भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति

O/o Pr. Accountant General (A&E)
Telangana, Hyderabad

545757

